



झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

सेवा में,

पत्रांक : 122

दिनांक: 09-01-18

श्री रामचन्द्र मेहता,
मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी,
ग्राम – बिगहा, पो0–फुलबेरिया,
थाना– नवलसराई, जिला– कोडरमा,
झारखण्ड, पिन– 825418

विषय:– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे० वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची का पत्रांक 1218 दिनांक 28.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए सूचित करना है विषयगत प्रस्ताव पर छः विन्दूओं पर पृच्छा की गई है तथा पृच्छित सभी विन्दूओं का कंडिकावार एवं पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पृच्छित विन्दूओं का कंडिकावार पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर समर्पित करने की कृपा की जाय। ताकि ससमय निराकरण प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके।

अनु:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

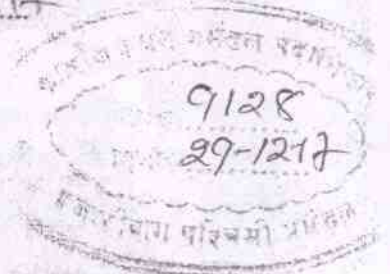
e. J. J. J. J. J.
28-12-2017

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1218 दिनांक:- 28/12/17

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग,
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल,



विषय :- मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे० मात्र अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में

प्रसंग :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक-2975 दिनांक-02.11.2017।

महाशय,

प्रासांगिक पत्र द्वारा वन विभागीय पत्रांक-3105 दिनांक-27.07.2017 द्वारा पृच्छित 3 बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन पाँच प्रतियों में इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। निर्देशानुसार अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्ति हेतु संचिका प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को भेजा गया था, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से निम्न बिन्दुओं पर पृच्छा हेतु निदेश प्राप्त हुआ है :-

1. वन विभागीय पत्रांक-3105 दिनांक-27.07.2017 द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या 'ख' को स्पष्ट किया जाय कि प्रस्तावित वन भूमि में Safety Zone की water body के आस-पास तथा अन्य स्थानों पर कुल चौड़ाई वास्तव में कितनी है।
2. Mining Plan के पेज 34 पर Excavated Area मात्र 330 मीटर दिया गया है, जबकि मूल प्रस्ताव के कंडिका-2 में Mining(Ultimate Pit) 12.14 ha. बताया गया है। इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाय।
3. यदि यह मान भी लिया जाय कि सम्पूर्ण 12.14 हे० में खनन कार्य किया जायगा तो जिस प्रकार 2017-18 से 2027-28 (10 वर्षों) में 6.25 मिलियन क्यूबिक मीटर स्टोन के उत्पादन का Schedule दिया गया है। उससे लगभग 50 मीटर गहरा vertical गढ़ा पूरे क्षेत्र में बन जायगा। इतने गहरे गढ़े को Reclaime किया जाना किस प्रकार संभव हो पायगा, ताकि Top Soil के साथ वृक्षारोपण हो सके, इसकी विवरणी दी जाय।
4. प्रयोक्ता अभिकरण ने एक जगह उल्लेख किया है कि Top Soil का प्रयोग Road Maintenance हेतु किया जायगा जबकि दूसरे जगह उल्लेख किया कि Top Soil को वृक्षारोपण के लिए गढ़ा भरा जायगा। कृपया इसे स्पष्ट किया जाय।
5. माईनिंग प्लान के पेज 54 टेबुल-31 में खनन की औसत गहराई 60 मी० दी गयी है जबकि पेज 42 पर भू-जल स्तर (Water Table) अधिकतम 65 मी० दी गई है। इस स्थिति में इतनी गहराई तक कहाँ तक उचित होगा। इसे स्पष्ट किया जाय।

28-12-17

6. प्रस्तावित स्थान के आस-पास अवैध माईनिंग प्रतिवेदित है। इस हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती रही है।

उपरोक्त पृच्छित सभी विन्दुओं का कड़िकावार एवं पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर लौटती डाक से अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि राज्य सरकार के पत्रांक-3105 दिनांक-27.07.2017 द्वारा पृच्छित विन्दुओं के निराकरण से अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन

[Signature]
28.12.17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

[Signature]
28.12.17